# दिनांक 12–06–2010 को राज्य कैम्पा के अन्तर्गत डा0 आर0बी0एस0 रावत, प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित "एग्जक्यूटिव कमेटी" (Executive Committee) की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री श्रीकान्त चन्दोला, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड। (सदस्य)
2. श्रीमती बीना सेखरी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड। (सदस्य)
3. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड। (सदस्य सचिव)/मुख्य वन संरक्षक, बाँस एवं रेशा परिषद, उत्तराखण्ड।
4. श्री परमजीत सिंह, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव प्रशासन, संरक्षण व इंटेलीजेंस, उत्तराखण्ड। (उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि)
5. श्री प्रदीप कुमार गोयल, वित्त ,नियंत्रक, उत्तराखण्ड। (सदस्य)
6. श्री कमला महर, स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान, पिथौरागढ़ (सदस्य)
7. श्री जगत सिंह चौहान, अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), नौगांव उत्तरकाशी। (सदस्य)

विशेष आमंत्री

1. श्री दिग्विजय सिंह खाती, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल।
2. श्री एस0एम0 जोशी, वन संरक्षक, (मुख्यालय)
3. श्री गिरीश कुमार रस्तोगी, उप निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
4. श्री एस0पी0 सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत प्रतिनिधि मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं)।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) के द्वितीय बैठक हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित 10 वर्षीय राज्य कैम्पा एक्शन प्लान की भारत सरकार स्तर पर प्रशंसा की गयी है तथा इसके आधार पर अन्य राज्यों द्वारा भी कैम्पा एक्शन प्लान बनाए जा रहे है। 10 वर्ष की अवधि हेतु बनाये गये रू0 873 करोड़ के इस प्लान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग रू0 80 से 85 करोड़ व्यय का प्राविधान रखा गया है। राज्य कैम्पा फण्ड में जमा धनराशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की धनराशि को भी प्रमुख वन संरक्षक/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात् विभिन्न चिन्हित मदों में उपयोग किया जा सकता है। दस वर्षीय अनुमोदित एक्शन प्लान के अनुसार प्रथम वर्ष 2010–11 की वार्षिक कार्ययोजना (ए0पी0ओ0) द्वारा तैयार किया गया है जिसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया है।

एजेन्डा बिन्दु सं0– 1 दिनांक 27.03.2010 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त को कार्यकारी समिति द्वारा निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया –

(क) दिनांक 27.03.2010 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 3(i) के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद में 10वर्षों हेतु 9399 हे0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2016–17 तक पूर्ण किया जाना था। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लक्ष्य को वर्ष 2013 तक यथासंभव पूर्ण कराने पर सहमति हुई।

**कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) एवं (गढ़वाल)**

(ख) दिनांक 27.03.2010 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 3(v) के अनुसार 121 जल स्रोतों के रिचार्ज जोन का उपचार वन विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित था, तदनुसार चयनित जल स्रोतों के रिचार्ज जोन का उपचार कार्य किया जा चुका है/किया जा रहा है। अपर प्रमुख वन संरक्षक (परियोजनाएं) ने सुझाव दिया कि प्रत्येक वन प्रभाग में एक सूक्ष्म जलागम क्षेत्र (M.W.S.) को मॉडल के रूप में लेकर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में उपचार कार्य किया जाये। समस्त सदस्यों द्वारा उक्त सुझाव पर सहमति व्यक्त की गई। **कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक, (कुमाऊं) एवं (गढ़वाल)**

(ग) दिनांक 27.03.2010 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 3(xi) के अनुसार के बारे में मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) द्वारा बताया गया कि "बद्रीश एकता वन" हेतु 10 एकड़ भूमि का चयन किया जा चुका है एवं वन विभाग द्वारा "बद्रीश एकता वन" स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

**कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल)**

(घ) दिनांक 27.03.2010 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 6 के अनुसार मुख्यालय भवन निर्माण किया जाना है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि वन मुख्यालय दो वर्षों में तैयार किये जाने का प्रस्ताव है, जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया।

**कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)**

**एजेण्डा बिन्दु सं0– 2 कैम्पा परियोजना के अन्तर्गत व्यय तथा लेखा में संबंधी व्यवस्था का निर्धारण**

दिनांक 24.04.2010 को श्री श्रीकान्त चन्दोला, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक जिसमें श्री एस0एम0 जोशी, वन संरक्षक, मुख्यालय तथा श्री प्रदीप कुमार गोयल, वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया, में इस विषय पर गहन विचार–विमर्श किया गया। बैठक के कार्यवृत्त कार्यकारी समिति के सदस्यों को वितरित किये गये हैं। कार्यकारी समिति ने उक्त कार्यवृत्त में दी गयी व्यवस्था का अनुमोदन किया तथा महालेखाकार से कोई अन्य नये निर्देश प्राप्त होने तक वन विभाग में वर्तमान में लागू प्रक्रिया के अनुसार ही लेखा आदि की व्यवस्था तथा कैम्पा हेतु पृथक से रोकड बही, लेजर, भण्डार सामग्री आदि के अभिलेख संधारित किये जाने का कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदन किया।

उत्तरांचल ग्रामीण बैंक राष्ट्रीकृत बैंक का समतुल्य है एवं इसमें भारतीय स्टेट बैंक की 35 प्रतिशत, उत्तराखण्ड सरकार की 15 प्रतिशत तथा भारतीय रिजर्व बैंक (भारत सरकार) की 50 प्रतिशत की भागीदारी है। अतएव उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की शाखा/सेवा उपलब्ध होने पर उसमें साखा खोले जाने पर भी कार्यकारी समिति अपनी सहमति दी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा दिनांक 24.04.2010 की बैठक के कार्यवृत्त में दिये गए बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त करते हुए उनका अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि कार्यकारी समिति के अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक कार्ययोजना (APO) का "स्टीरिंग कमेटी ऑफ स्टेट कैम्पा" से शीघ्रतिशीघ्र अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा तथा तत्पश्चात अनुमोदित APO के अनुसार विभिन्न प्रभागों को बजट का आवंटन किया जायेगा।

**कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल एवं कुमाऊं)**

**एजेण्डा बिन्दु सं0– 3 राज्य कैम्पा के सापेक्ष होने वाल व्यय के ऑडिट के सम्बन्ध में**

कैम्पा परियोजना के व्यय लेखे एवं आडिट के लिए वही प्रक्रिया अपनायी जानी है जो वर्तमान में वन विभाग में लागू है। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

**कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल एवं कुमाऊं)**

**एजेण्डा बिन्दु सं0– 4 कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में**

भारत सरकार द्वारा जारी कैम्पा के गाईडलाइन्स के अनुसार एक स्वतत्र कार्यप्रणाली अपनायी जानी है। इस हेतु मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सम्प्रेक्षा, उत्तराखण्ड को अधिकृत किया जाता है कि वे इस हेतु एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली तैयार कर प्रबन्धन कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करें। जब तक स्वतंत्र कार्यप्रणाली तैयार नहीं हो जाती है तब तक वन विभाग के वर्तमान नियमों के अनुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जाये। वन संरक्षक (मुख्यालय) द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने कैम्पा परियोजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की आई0टी0 आधारित व्यवस्था के लिए NIC के साथ समझौते का प्रारूप रखा है जिस पर भारत सरकार द्वारा दिनाक 24.06.2010 को बैठक की जानी प्रस्तावित है।

**कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सम्प्रेक्षा (उत्तराखण्ड)**

**एजेण्डा बिन्दु सं0–5 वर्ष 2010–11 की वार्षिक कार्ययोजना (Auual Plan of Operations) का अनुमोदन**

वन संरक्षक, मुख्यालय द्वारा वर्ष 2010–11 की कार्य योजना प्रस्तुत करने से पूर्व उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य कैम्पा हेतु गठित समितियों एवं उनके दायित्व की जानकारी दी गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि ''स्टीरिंग कमेटी ऑफ स्टेट कैम्पा'' के सदस्य सचिव, मुख्य वन संरक्षक (नियोजन/परियोजना) नामित हैं। यह पद उच्चीकृत (अपग्रेड) होकर अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) स्तर का हो गया है। अतएव सदस्य सचिव के पदनाम में भी तदनुसार परिवर्तन किया जाना है। समिति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया एवं संशोधन हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

**कार्यवाही– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (उत्तराखण्ड) एवं मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)**

(i) वन संरक्षक (मुख्यालय) द्वारा वर्ष 2010–11 की वार्षिक कार्य योजना (APO) का मदवार विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन का सुझाव था कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 में रोपण के कम लक्ष्य रखे जायें तथा वर्ष 2012 व 2013 में शेष लक्ष्य पूर्ण कर लिये जायें। सदस्यों ने सुझाव दिया गया कि वन कर्मियों हेतु कल्याणकारी कार्यों के कॉरपस फण्ड (Corpus Fund) को अधिक से अधिक बढ़ाया जाये, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रथम दो वर्षों में अधिक से अधिक कॉरपस फण्ड की व्यवस्था कर दिये जाने पर आगामी वर्षों में इससे प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले ब्याज की धनराशि से ही वन विभाग के स्टॉफ के वेलफेयर सम्बन्धी अधिकांश कार्यों को सम्पन्न कराया जा सकेगा। वन संरक्षक (मुख्यालय) ने बताया कि 10 वर्षीय कार्ययोजना में कॉरपस फण्ड 10 वर्ष की अवधि में कुल रू0 11.25 करोड रखा गया है, जिसे प्रथम दो वर्षों में आवंटित कर नियमानुसार एक अलग बचत खाता (Interest Bearing A/c) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाय।

(ii) अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि Allied Activities मद में उपलब्ध धनराशि से मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड हरित विकास कार्य, वन महोत्सव, पर्यावरण दिवस, वन्यजीव सप्ताह आदि के आयोजन में होने वाला व्यय वहन किया जा सकता है। समिति द्वारा सर्वसम्मती से इसका अनुमोदन किया गया।

**कार्यवाही–मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) एवं (गढ़वाल)**

(iii) वन संरक्षक (मुख्यालय) ने पश्चिमी वृत्त के रोपण कार्यों को संपन्न करने हेतु मुख्य व संरक्षक, (कुमायूँ) द्वारा प्रस्तुत पुनर्आवंटन के प्रस्ताव का उल्लेख किया। अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) ने इंगित किया कि पश्चिमी वृत्त में रोपण वन निगम से प्राप्त धनराशि तथा 13वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से किया जाये। मुख्य वन संरक्षक (कुमायूँ) द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये तथा इस प्रबन्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(iv) मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल ने कैट प्लॉन (CAT Plan) से सम्बन्धित धनराशि अवमुक्त कराये जाने का अनुरोध किया ताकि सम्बन्धित क्षेत्र का उपचार प्रारंभ किया जा सके। प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड/अध्यक्ष महोदय, द्वारा स्टीयरिंग कमेटी द्वारा APO के अनुमोदन के उपरान्त CAT प्लान के लक्ष्यों के अनुरूप धन अवमुक्त करने पर सहमति व्यक्त की।

(v) प्रमुख वन संरक्षक ने समिति को सूचित किया कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क से संबंधित रूपये 50.00 करोड़ की धनराशि अभी सेन्ट्रल कैम्पा (Central CAMPA) में जमा है। इसको एडहॉक कैम्पा (Ad-hoc CAMPA) में लाने के समुचित प्रयास प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) स्तर से किये जायें।

**कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक(नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन)**

(vi) सुश्री कमला महर, स्वाती ग्रामोद्योग पिथौरागढ़ द्वारा सुझाव दिया गया कि महिला पौधशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जाये, स्कूलों एवं विद्यार्थियों को जागरूक किया जाये तथा आवारा पशुओं का सुधार एवं नियंत्रण किया जाये। प्रमुख वन संरक्षक ने महिला पौधशालाओं की स्थापना एवं उनकी संख्या में वृद्धि एवं स्कूल एवं विद्यार्थियों आदि को जागरूक करने के कार्यक्रम समय–समय पर सम्पादित किये जाने की जानकारी समिति को दी। समिति को यह भी सूचित किया गया कि प्रदेश के समस्त 95 विकास खण्डों में जुलाई 2010 में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रमुख वन संरक्षक ने स्पष्ट किया कि वन विभाग द्वारा वन्यजीवों का प्रबन्धन किया जाता है। आवारा पशुओं के सुधार एवं नियंत्रण हेतु पशु पालन विभाग द्वारा कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। जिस पर यथा–आवश्यकता वांछित सहयोग वन विभाग दे सकता है।

**कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल एवं कुमाऊं)**

(vii) श्री जगत सिंह चौहान, अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन जागृति समिति (पराज) नौगॉव, उत्तरकाशी द्वारा राज्य में नव–निर्मित सड़कों के दोनों ओर रोपण करने का सुझाव दिया गया। मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) ने बताया कि गढ़वाल मण्डल के कुछ वन प्रभागों में इस हेतु धनराशि उपलब्ध है, जिसको उपयोग किया जा सकता है। मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) को अवगत कराया गया कि प्रभाग स्तर पर रोकी गयी/जमा समस्त धनराशि को नियमानुसार पहले एडहॉक कैम्पा (Ad-hoc CAMPA) में स्थानान्तरित करना आवश्यक है। तदोपरान्त अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार इस पर कार्यवाही की जा सकती है। इस हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

**कार्यवाही– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड**

(viii) अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन) द्वारा सुझाव दिया गया कि APO में वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों को भी शामिल करना आवश्यक है। तदोपरान्त ही "स्टीयरिंग कमेटी ऑफ स्टेट कैम्पा" के समक्ष वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाये।

**कार्यवाही– वन संरक्षक (मुख्यालय)**

(viii) वन संरक्षक (मुख्यालय) द्वारा बताया गया कि प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत) द्वारा वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण मद में अपने कार्यालय हेतु अलग से धनराशि के आवंटन की मांग की गई है। वार्षिक कार्य योजना प्रभागों के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिए सम्बन्धित प्रभाग में धनराशि का प्राविधान किया गया है। प्रमुख वन संरक्षक (वन पंचायत) के कार्यालय हेत आवश्यकतानुसार धनराशि का प्राविधान प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पूल में उपलब्ध धनराशि

से किया जा सकता है। उक्त समस्त सुझावों पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं उक्त सुझावों को समायोजित करते हुये वार्षिक कार्य योजना 2010–11 एवं CAT प्लान के लक्ष्यों अनुमोदन किया गया तथा इसे स्टीयरिंग कमेटी से अनुमोदन कराने पर सहमति व्यक्त की गयी।

**कार्यवाही– अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन)**

**एजेण्डा बिन्दु सं0–6 अन्य बिन्दु**

**(क) शहरी वृक्षारोपण**– मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड हरित विकास योजना को समस्त सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस योजना में कुल रू0 684.37 लाख का प्राविधान है तथा रू0 304.93 लाख कैम्पा धनराशि से प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य होने प्रस्तावित हैः

| क्र0 सं0 | प्रस्तावित कार्य | कार्य | कार्य की मात्रा | 2010–11 का कुल प्रस्त0 व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजधानी देहरादून की सुनियोजित हरितिमा। | 1. आवासीय कालोनियों में रोपण<br>2. राजधानी के मार्गों का रोपण<br>3.. रिक्त स्थलों पर रोपण | राजधानी की 25 कालोनियों, 7 सरकारी प्रतिष्ठान तथा 2 मुख्य मार्गों में 400 पौध रोपित करना। | 71.28 |
| 2. | अन्य 12 जनपद मुख्यालयों की हरितिमा में वृद्धि | 12 जनपदों के मुख्यालयों की सड़कों के किनारे, रिक्त स्थलों पर तथा परिसरों में बड़ी पौध का रोपण। | हरिद्वार–1000 पौध, नई टिहरी–1300, पौड़ी–1300, रूद्रप्रयाग–1000, उत्तरकाशी– 1500, गोपेश्वर–1500, नैनीताल–1300, ऊ0सि0 नगर–1000, चम्पावत–1000, पिथौ0–1500, अल्मोड़ा–1300 बागेश्वर–1000 योग 14700 पौध | 233.65 |
| | | | योगः– | 304.93 |

समिति द्वारा शहरी वृक्षारोपण हेतु कैम्पा फण्ड से रू0 304.93 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया जिसे Allied Activities के अन्तर्गत रखा जाय।

**(ख) देहरादून–मसूरी राष्ट्रीय मार्ग कि0मी0 13 से कि0मी0 32 तक सौन्दर्यीकरण वृक्षारोपण**– के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना रू0 24.53 लाख प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रथम वर्ष में रू0 18.32 लाख व्यय किए जाने का प्रावधान है। समिति द्वारा उक्त संशोधन के साथ योजना का अनुमोदन किया गया। कैम्पा से उपलब्ध कराये जाने वाली उक्त धनराशि रू0 18.32 लाख को Allied Activities मद के अन्तर्गत लिया जाने का समिति ने अनुमोदन किया।

**(ग) हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार द्वारा मानव–हाथी द्वंद्व**– के सम्बन्ध में रू0 416.00 लाख की परियोजना प्रस्तुत की गई, जिसके सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त योजना को प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान से परीक्षण/अनुमोदित कराकर पुनः प्रस्तुत किया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव को निर्देशित किया गया कि यह योजना मात्र. एक प्रभाग की न होकर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु प्रस्तुत की जाये।

**कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल)**

**(घ) अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन जागृति समिति (पराज) नौगांव, उत्तरकाशी** द्वारा दिये गये सुझावों को मूल में वन संरक्षक, यमुना वृत्त देहरादून को प्रेषित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। यह भी सुझाव दिया गया कि वन विश्रामगृह, नौगॉव का जीर्णोद्धार वन निगम से प्राप्त धनराशि से किये जायें तथा शेष कार्यों को मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये।

**कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल)**

(च) **मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बॉस एवं रेशा परिषद देहरादून**– द्वारा बॉस एवं प्राकृतिक रेशा व गैर प्रकाष्ठ वनोपज से सम्बन्धित गतिविधियों से रू0 73.00 लाख की योजना प्रस्तुत की गई, जिसका प्राविधान पूर्व में ही वार्षिक कार्ययोजना के मद I e-Allied Activities including research under NPV Fund के अन्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन मद में किया है। समिति द्वारा योजना को अनुमोदित किया गया।

(छ) माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषित वन विभाग से संबंधित योजनाओं का उल्लेख एजेण्डा बिन्दु संख्या 6 (क) में कर दिया गया है।

**(ज) मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा** 10 जुलाई, 2009 के आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि "While carrying out the work of utilizing these funds the broad guidelines adopted by the NREGA may be followed and as far as possible, work may be allotted mostly to ruler unemployed people, maintaining the minimum wages level." इस क्रम में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एडहॉक के कैम्पा के कार्यों को सम्पादित करते समय यथासम्भव स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु वरीयता दी जायेगी।

**कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल एवं कुमाऊ)**

(झ) अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन) द्वारा सुझाव दिया गया कि पर्यटन सीजन के समय मसूरी तथा नैनीताल में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस हेतु प्रारम्भ में नैनीताल के अन्तर्गत मॉडल के रूप में एक **इको पार्क का विकास** किया जाना उचित होगा। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में इसकी संभावनाएं है। अध्यक्ष महोदय, द्वारा भी सुझाव दिया गया कि इसी प्रकार का गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत गोपेश्वर जनपद में एक इको पार्क का विकास किया जाना उचित होगा। मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमायूँ अपने–अपने क्षत्रों से संबंधित योजना आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे दोनों पार्कों के विकास हेतु अनन्तिम रूप से 20–20 लाख रूपये की धनराशि का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया जिसे Allied Activities के अन्तर्गत रखा जाय। भविष्य में अन्य जनपदों में भी यह कार्य किया जायेगा।

**कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल एवं कुमाऊ)**

(ट) अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा सुझाव दिया गया कि उत्तराखण्ड राज्य की प्रमुख वनस्परियों के विवरण से संबंधी कोई फ्लोरा ( Flora) अभी उपलब्ध नहीं है। अतः आवश्यक है कि "Flora of Uttarakhand" तथा "Birds of Uttarakhand" शीर्षक पुस्तों की प्रकाशन करना आवश्यक है। समिति द्वारा इस हेतु रू0 10 लाख की धनराशि का अनुमोदन मुख्यमंत्री उत्तरखण्ड हरित विकास योजना के अन्तर्गत किया गया।

**कार्यवाही– अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन)**

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव दिये गये महिला पौधशालाओं का और अधिक उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण किया जाय तथा प्रत्येक प्रभाग में पिरूल एकत्रीकरण की एक–एक यूनिट स्थापित की जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि पिरूल का उपयोग ब्रिकेट इंधन के लिए तथा इसको बनाने की कार्यवाही/उपयोग प्रारंभ हो गयी है। बिजली बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है।

**अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।**

अनुमोदित

18/6/2010

(डॉ0 रघुबीर सिंह रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः 420/18–4–1–3 देहरादून दिनांक 18 जून, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,उत्तराखण्ड
6. मुख्य वन संरक्षक, बाँस एवं रेशा परिषद, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड। (सदस्य)
8. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमायूँ
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सम्प्रेक्षा, उत्तराखण्ड
10. वन संरक्षक, मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
12. अध्यक्ष, स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान, पिथौरागढ़।
13. अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), नौगांव, उत्तरकाशी।

18.6.10
(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।